ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

रजि. कार्यालयः 9, म.प्र. नगर, प्रथम स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर 641607
कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028, फोनः 022–69231111

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **उधारकर्ता मुकेश कुमार शर्मा प्रोपराईटर पूनम फूड प्रोडक्ट्स, उमेश चंद शर्मा और मिथलेश कुमारी शर्मा उपनाम मिथलेश देवी** को दिनांक 01.06.2026 को मांग नोटिस जारी किया गया था जिसमें ऋण खाता नं. HLAPALW00249729 के तहत उल्लिखित राशि **रु. 19,09,254/- (रूपये उन्नीस लाख नौ हजार दो सौ चौवन मात्र) दिनांक 13.01.2026 तक और उस पर ब्याज इत्यादि सहित** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए उधारकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक** कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 07 अक्टूबर, 2026 को ले लिया है

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार ओएआरपीएल के प्रभार वास्ते राशि **रु. 19,09,254/- (रूपये उन्नीस लाख नौ हजार दो सौ चौवन मात्र) दिनांक 31.05.2026 तक और उस पर ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 237, खसरा नं. 325(नया), गाँव खुदानपुरी, क्षेत्रफल 191.66 वर्ग गज जिला अलवर (राजस्थान)

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी
कृते ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 22/2024-25 ट्रस्ट)

दिनांकः 07.10.2026
स्थानः अलवर, राजस्थान

यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एफओएफ बी 17, बी विंग, चौथा तल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी हॉल के पीछे, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070, महाराष्ट्र

शाखा के स्थानांतरण हेतु सामान्य सूचना

यूग्रो कैपिटल लिमिटेड (यूग्रो) के ग्राहकों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि आंतरिक व्यावसायिक कारणों से निम्नलिखित शाखा को 9 नवम्बर, 2026 से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है और इस शाखा के ग्राहकों को नीचे उल्लिखित मौजूदा शाखा में ही सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

क्र.सं.	बन्द होने वाली प्रस्तावित शाखा	सेवारत शाखा पता
1.	प्लॉट नं. 14, भूतल, न्यू मास्टर कॉलोनी, खंडिया, झालावाड़, राजस्थान-325001	दुकान नं. 08, भूतल, वंडर व्यू, अदारनी मार्केट, कोटादी गोवर्धन पुरा चौक, कोटा-324 005.

स्थानः झालावाड़
तिथिः 09.10.2026

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी-
यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व मे आर के पी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड)

रुद्र हाइट्स, प्लॉट नं. 5, तृतीय तल, त्रिवेणी पुलिया के नीचे,
गोपालपुरा बाईपास, जयपुर-302018 ई-मेल contactus@rkpfinance.com

TRUST IS OUR TRADEMARK

सिक्योरिटाइजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के अंतर्गत तथा अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किए गए, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता को संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान उक्तनोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित विश्वास है कि उधारकर्ता द्वारा मांग नोटिस की सेवा से बचा जा रहा है, अतः नियमों के अनुसार नोटिस की सेवा चस्पा करने और प्रकाशन द्वारा की जा रही है। मांग नोटिस की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत की गई है:

ऋणी का नाम	मांग पत्र के अनुसार देय राशि	संपत्ति का विवरण
श्री संजय कुमार पुत्र श्री रामबाबू (ऋणी) सुश्री पूजा शर्मा पुत्री श्री गोपाल लाल शर्मा (सह-ऋणी) श्री दयानंद पुत्र श्री मोहन लाल (गारंटर) Loan A/c No. JPR23LAP06668	रु. 23,35,025/- (रुपये तेईस लाख पैंतीस हजार पच्चीस मात्र) का भुगतान करने हेतु मांग सूचना दिनांक- 06-10-2026 एन.पी.ए. की दिनांक- 26.09.2024	पट्टा संख्या 20, बुक संख्या 11, संकल्प संख्या 08, ग्राम पंचायत दूधली, पंचायत समिति बस्सी, जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 185.54 वर्गगज, जो श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री रामबाबू शर्मा के नाम से है। सीमाएँ:-पूर्व:18 फीट चौड़ा आम रास्ता, उत्तर: स्वयं का अगवार छोड़कर आम रास्ता, पश्चिम: 2.6 फीट गली छोड़कर गोपाल लाल का मकान, दक्षिण: मारी लाल की भूमि

उधारकर्ता को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और उसमें तथा उपर्युक्त में उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक के खर्चों सहित करें। उधारकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा, उधारकर्ता द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों, जो सुरक्षित परिसंपत्ति हैं, के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफलता होती है, तो आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेना शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, तथा उसे बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करना या अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का आह्वान करना और भुगतान वसूल करना शामिल है। आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्ति को जोड़ें और/या सील करें करने के लिए भी सशक्त है। सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री के बाद, आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि बंधक रखी गई संपत्तियों का मूल्य आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कॉ देय बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र है।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को मोचन करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में प्रावधान है, तथा आगे अधिनियम की धारा 13 (13) की और, जिसके द्वारा उधारकर्ता को आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्ति का निपटान करने या उससे व्यवहार करने अथवा बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया गया है और उपर्युक्तका अनुपालन न करना उक्तअधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता (ओं) यदि चाहें तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांकः-09.10.2026, स्थानः-राजस्थान

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी (आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)

इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

IARC RESOLUTION REDEFINED

कार्पोरेट कार्यालय : ए–601, छठा तल, 215 एट्रियम, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई 400093; **पंजीकृत कार्यालय** : प्लॉट संख्या 246, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक एस्टेट फेज– III, नई दिल्ली–110020 सीआईएन नंबर : U74999DL2002PTC117526 | ई : iarc@iarc.co.in | वेबसाइट : www.iarc.co.in

कब्जा सूचना –परिशिष्ट–IV (देखें नियम 8(1)) (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, **इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,** जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 246, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक एस्टेट फेज III, नई दिल्ली –110020 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि चुकाने के लिए मांग सूचना जारी की है।

कर्जदारों द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदारों और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे दिए गए दिन, माह और वर्ष में, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

कर्जदारों को विशेष रूप से और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के बाबत कोई डील न करें और संपत्ति के बाबत कोई भी डील **इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड** की सूचना में वर्णित राशि और उस पर ब्याज के चार्ज के तहत होगी। कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर दिलाया जाता है, जिसमें प्रतिभूत आस्तियां छुड़ाने के लिए समय उपलब्ध होने के बारे में बताया गया है।

कर्जदार का विवरण	मांग सूचना	बंधक रखी गई संपत्ति	कब्जा की तिथि
1) श्री शैलेंद्र सिंह रावत 2) श्रीमती लक्ष्मी रावत ऋण खाता संख्या : IL10204064	मांग सूचना दिनांकित 18-01-2025, वास्ते रू. 12,31,155/- (रुपये बारह लाख इकतीस हजार एक सौ पचपन मात्र) 18-01-2025 तक	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्लैट नंबर ए–जी28, यूनिट टाइप एलआईजी - ए1, फ्लोर नंबर 0, यूनिक श्री तरंग, खसरा नंबर 721 722 767 एम और 718/2415 एम राजस्व ग्राम बलवंता, तह. अजमेर, राजस्थान 305001, क्षेत्रफल परिमाप कार्पेट एरिया 452 वर्ग फीट, निर्मित एरिया 467.62 वर्ग फीट, सीमाबद्ध : उत्तर–प्लॉट, दक्षिण-प्लॉट, पश्चिम-प्लॉट, पूर्व-प्लॉट	07/10/2026

तिथि : 07-10-2026
स्थान : अजमेर, बलवंता

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
(ट्रस्टी रेटको–5 के रूप में कार्य करते हुए)

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बजाज फाइनेंस लिमिटेड, द्वारा बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स, मुंबई पुणे रोड, आकुर्डी, पुणे 411035
शाखा कार्यालयः बजाज फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल, लक्ष्मी रेजिडेंसी, बीकानेर, राजस्थान 334001

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

निम्नहस्ताक्षरी बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, इसके द्वारा उन ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को निम्नलिखित सूचना देते हैं जो अपनी देनदारी का भुगतान करने में विफल रहे हैं, अर्थात् बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उन्हें स्वीकृत गृह ऋण/संपत्ति पर ऋण के लिए मूलधन तथा उस पर अर्जित ब्याज और अन्य प्रभारों के पुनर्भुगतान में व्यतिक्रम किया है और इसके परिणामस्वरूप ऋण गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) बन गए हैं। तदनुसार, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं उसके नियमों के धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर सूचनाएं जारी की गई थीं, तथापि, वे बिना तामील/बिना वितरण के वापस लौट आई हैं, अतः ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को इस प्रकाशन सूचना के माध्यम से सूचित/अवगत कराया जाता है कि वे समय-समय पर अपने द्वारा ली गई ऋण सुविधाओं के अंतर्गत अपनी बकाया देनदारियों का चुकता करें।

ऋण खाता संख्या / ऋणधारकों / सह-ऋणधारकों / गारंटर्स का नाम एवं पता	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत/ बंधक अचल संपत्ति/ परिसंपत्ति का पता	मांग सूचना तिथि तथा धनराशि
ऋण खाता सं.: 562BDH78431777 तथा 562BDH79215448/सितंबर'26 **1. किशन धवल, पिता: महेश धवल, निवासी:** जय हिंद स्कूल की गली, पुरानी गजनेर रोड, चौखूंटी, बीकानेर, राजस्थान, 334001, संपर्क: 9460590193, ईमेल आईडी: kishan.dhawal@gmail.com अन्य पता: फ्लॉट नं. ए 04 तथा ए 05, आशा विहार, खसरा नं. 518/98, ग्राम कोलायत, श्रीकोलायत, बीकानेर 334001 **2. सुनिता धवल, पत्नी: किशन धवल, निवासी:** जय हिंद स्कूल की गली, पुरानी गजनेर रोड, चौखूंटी, राजस्थान, 334001, संपर्क: 9460590193, ईमेल आईडी: kishan.dhawal@gmail.com	ग्राम कोलायत, श्रीकोलायत, बीकानेर 334001 स्थित खसरा नं. 518/98, आशा विहार के प्लॉट नं. ए 04 तथा ए 05 का संपूर्ण भूखंड एवं अंश तथा सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा (प्लॉट नं. ए 04 क्षेत्रफल लगभग 2400 वर्ग फीट; प्लॉट नं. ए 05 क्षेत्रफल लगभग 2400 वर्ग फीट)। **सीमाएं: पूर्व:** प्लॉट ए 06, **पश्चिम:** प्लॉट नं. ए 03, **उत्तर:** प्लॉट नं. ए-20 तथा ए-21, **दक्षिण:** बीकानेर-कोलायत रोड	**15.09.2026** **रु. 24,61,635/-** (रुपये चौबीस लाख इकसठ हजार छह सौ पैंतीस रुपये तथा शून्य पैसा मात्र) 15.09.2026 की स्थिति के अनुसार ।

यह कदम सूचना की स्थानापन्न तामील हेतु उठाया जा रहा है। उपरोक्त ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारंटर्स को सलाह दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भविष्य ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर (बजाज फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का वर्तमान अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूत परिसंपत्तियों/बंधक संपत्ति का कब्जा लेने हेतु आगे के कदम उठाए जाएंगे। उपरोक्त नामित पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त उल्लिखित संपत्तियों, जिस पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड का प्रभार है, को अंतरित या उसमें किसी तृतीय पक्ष का हित सृजित न करें।

स्थानः राजस्थान, तिथि: 09-10-2026 **हस्ताक्षर/-, प्राधिकृत अधिकारी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड**

आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व मे आर के पी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड)

रुद्र हाइट्स, प्लॉट नं. 5, तृतीय तल, त्रिवेणी पुलिया के नीचे,
गोपालपुरा बाईपास, जयपुर-302018 ई-मेल contactus@rkpfinance.com

TRUST IS OUR TRADEMARK

सिक्योरिटाइजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के अंतर्गत तथा अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किए गए, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता को संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान उक्तनोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित विश्वास है कि उधारकर्ता द्वारा मांग नोटिस की सेवा से बचा जा रहा है, अतः नियमों के अनुसार नोटिस की सेवा चस्पा करने और प्रकाशन द्वारा की जा रही है। मांग नोटिस की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत की गई है:

ऋणी का नाम	मांग पत्र के अनुसार देय राशि	संपत्ति का विवरण
श्रीमती मोती देवी मीणा पत्नी श्री रामकरण मीणा (ऋणी) श्री रमेश चंद मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा (सह-ऋणी) श्रीमती सुमन देवी मीणा पत्नी श्री रमेश चंद मीणा (सह-ऋणी) श्री योगेश्वर शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा (गारंटर) Loan A/c No. JPR23LAP06582	रु. 20,19,910/- (रुपये बीस लाख उन्नीस हजार नो सौ दस मात्र) का भुगतान करने हेतु मांग सूचना दिनांक- 06-10-2026 एन.पी.ए. की दिनांक- 16.09.2024	प्लॉट संख्या 02, शिव विहार वाटिका कॉलोनी, बस्सी थाने के पीछे, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 212.33 वर्गगज, जो श्रीमती मोती देवी मीना पत्नी श्री रामकरण मीना के नाम से है। सीमाएँ:-पूर्व: प्लॉट संख्या 1 पश्चिम: प्लॉट संख्या 3 उत्तर:25'-0 चौड़ी सड़क दक्षिण: अन्य भूमि

उधारकर्ता को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और उसमें तथा उपर्युक्त में उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक के खर्चों सहित करें। उधारकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेना शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, तथा उसे बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करना या अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का आह्वान करना और भुगतान वसूल करना शामिल है। आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्ति को जोड़ें और/या सील करें करने के लिए भी सशक्त है। सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री के बाद, आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि बंधक रखी गई संपत्तियों का मूल्य आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कॉ देय बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र है।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को मोचन करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में प्रावधान है, तथा आगे अधिनियम की धारा 13 (13) की और, जिसके द्वारा उधारकर्ता को आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्ति का निपटान करने या उससे व्यवहार करने अथवा बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया गया है और उपर्युक्तका अनुपालन न करना उक्तअधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता (ओं) यदि चाहें तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांकः-09.10.2026, स्थानः-राजस्थान

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी (आर के पी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)

IndusInd Bank

प्रथम तल, संगम टावर, चर्च रोड, जयपुर - 302001

परिशिष्ट - IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, उन्होंने ऋणधारकों **(1) ओएसिस कलर लैब एंड डिजिटल स्टूडियो (ऋणधारक), (2) श्रीमती तारा वैष्णव (सह-ऋणधारक), (3) श्री ओम प्रकाश वैष्णव (सह-ऋणधारक) (खाता सं. RDD00425N एवं RDD01089N)** को उक्त मांग सूचना में उल्लिखित राशि अर्थात् तिथि: 11.08.2023 को रु. 2,33,23,961.88 (दो करोड़ तैंतीस लाख तेईस हजार नौ सौ इकसठ एवं अट्ठासी पैसे मात्र) का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने का आह्वान करते हुए मांग सूचना तिथि 22.09.2023 प्रेषित तिथि 26.09.2023 जारी की थी। ऋणधारक द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणधारक तथा सामान्य जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत तथा उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **वर्ष 2026 के अक्टूबर माह के इस 06वें दिन** यहां नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा सामान्य जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेनदेन न करें तथा संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन वर्ष 2026 के अक्टूबर माह के 06वें दिन तक रु. 3,30,14,031.59/- (खाता सं. RDD00425N एवं RDD01089N) की राशि तथा उस पर लगने वाले ब्याज एवं प्रभारों के लिए इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति 1: भूमि का वह सम्पूर्ण टुकड़ा तथा पार्सल जिसका सं. पार्ट "बी" कचहरी रोड, रंगणिया मोहल्ला, पाली (राजस्थान) है, जिसका क्षेत्रफल 119.51 वर्ग फीट है, जो कि निम्नानुसार सीमाबद्ध है: - स्वामित्व: श्रीमती तारा देवी **पूर्व:** दुकान, **पश्चिम:** सुरेश कुमार जी की दुकान, **उत्तर:** अन्य आवासीय संपत्ति, **दक्षिण:** सड़क 20 फीट

संपत्ति 2: भूमि का वह सम्पूर्ण टुकड़ा तथा पार्सल जिसका सं. - रंगणिया मोहल्ला, पाली (राजस्थान) में स्थित संपत्ति का दक्षिणी भाग है, जिसका क्षेत्रफल 451.50 वर्ग फीट है, जो कि निम्नानुसार सीमाबद्ध है: - स्वामित्व: श्रीमती तारा देवी तथा श्री ओम प्रकाश, **पूर्व:** मांगीलालजी की दुकान, **पश्चिम:** दुकान, **उत्तर:** अन्य आवासीय संपत्ति, **दक्षिण:** सड़क 20 फीट

संपत्ति 3: भूमि का वह सम्पूर्ण टुकड़ा तथा पार्सल जिसका सं. - रंगणिया मोहल्ला, पाली (राजस्थान) में स्थित दक्षिणी भाग पार्ट "बी" है, जिसका क्षेत्रफल 141.75 वर्ग फीट है, जो कि निम्नानुसार सीमाबद्ध है: - स्वामित्व: श्रीमती तारा देवी तथा श्री ओम प्रकाश **पूर्व:** दुकान, **पश्चिम:** दुकान, **उत्तर:** अन्य आवासीय संपत्ति, **दक्षिण:** सड़क 20 फीट

संपत्ति 4: भूमि का वह सम्पूर्ण टुकड़ा तथा पार्सल जिसका सं. - रंगणिया मोहल्ला, पाली (राजस्थान) में स्थित मार्क "ए", मार्क "बी" तथा मार्क "सी" का उत्तरी भाग है, जिसका क्षेत्रफल 1729.25 वर्ग फीट है, जो कि निम्नानुसार सीमाबद्ध है: - स्वामित्व: श्रीमती तारा देवी तथा श्री ओम प्रकाश **पूर्व:** आवासीय भूखंड, **पश्चिम:** सुरेश कुमार माली का भूखंड, **उत्तर:** रास्ता 30 फुट, **दक्षिण:** मौजूदा तामिर

तिथि: 06-10-2026, स्थान: पाली **प्राधिकृत अधिकारी (इंडसइंड बैंक लिमिटेड)**

OMKARA ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

रजि. कार्यालयः 9, म.प्र. नगर, प्रथम स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर 641607
कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028, फोनः 022–69231111

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल)) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **उधारकर्ता अल्पना परांजपे (पत्नी, स्वर्गीय श्री भालचंद्र हरि परांजपे की सह-उधारकर्ता तथा विधिक वारिस), आयुष बी. परांजपे (पुत्र, स्वर्गीय श्री भालचंद्र हरि परांजपे के सह-उधारकर्ता तथा विधिक वारिस) तथा तान्या परांजपे (पुत्री तथा स्वर्गीय श्री भालचंद्र हरि परांजपे की विधिक वारिस)** को दिनांक 25.06.2018 को मांग नोटिस जारी किया गया था जिसमें ऋण खाता नं. HHLLAJ00197420 के तहत उल्लिखित राशि **रु. 10,32,264/- (रूपये दस लाख बत्तीस हजार दो सौ चौसठ मात्र) दिनांक 19.06.2018 तक और उस पर ब्याज इत्यादि सहित** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

इसके अतिरिक्त, सम्मान कैपिटल लिमिटेड ने दिनांक 29.03.2025 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से उपर्युक्त ऋण खाते से संबंधित अपने सभी अधिकार, हक और हित ओंकारा पीएस 22ऽ2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में ओंकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में समनुदेशित कर दिए हैं।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए उधारकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 07 अक्टूबर, 2026 को ले लिया है

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार **ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड** के प्रभार वास्ते राशि **रु. 10,32,264/- (रूपये दस लाख बत्तीस हजार दो सौ चौसठ मात्र) दिनांक 19.06.2018 तक और उस पर ब्याज इत